

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1880 /2020 दिनांक : 12.10.2020

श्री सोहनलाल शर्मा (RJ0219), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, अलवर को दिनांक 23.09.2020 से 06.10.2020 तक 14 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-04, अलवर / विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, अलवर / अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम 01, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, अलवर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
12/10/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/24/1996/ 4615

दिनांक : 12.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, अलवर को उनके पत्रांक 551 दिनांक 07.10.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सोहनलाल शर्मा (RJ0219), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, अलवर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-04, अलवर ।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, अलवर ।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम 01, अलवर ।

12.10.2020
सहायक रजिस्ट्रार